भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2766
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन

†2766. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन सी कमियों की पहचान की गई है और इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या अन्य जनजातीय बहुल राज्यों में भी इसी तरह की समीक्षा की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(**क) से (ग):**संविधान के भाग-IX के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर विस्तारित करने के लिए**,** संसद ने**,** संविधान के अनुच्छेद 243ड(4)**(**ख) के अनुसार**,** "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" **(**पेसा) को**,** कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ**,** अधिनियमित किया था। वर्तमान में**,** पांचवीं अनुसूची क्षेत्र 10 राज्यों में मौजूद हैं**,** अर्थात आंध्र प्रदेश**,** छत्तीसगढ़**,** गुजरात**,** हिमाचल प्रदेश**,** झारखंड**,** मध्य प्रदेश**,** महाराष्ट्र**,** ओडिशा**,** राजस्थान और तेलंगाना। पेसा अधिनियम के प्रावधान केवल इन 10 राज्यों पर लागू होते हैं।

'पंचायत', "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का एक हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले, जिनमें राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा, कमियों की पहचान और इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए उपाय आदि भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले राज्यों ने सूचित किया है कि पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से संबंधित विभागों के साथ राज्य स्तर पर आयोजित बैठकों के माध्यम से की जाती है।

पंचायती राज मंत्रालय ने,राज्य सरकारों को कार्य-निष्पादन का आकलन करने, कमियों की पहचान करने और राज्य में पेसा के कार्यान्वयन को मजबूत करने हेतु उचित उपाय करने को, सुविधाजनक बनाने के लिए, हाल ही में, 10 पेसा संकेतक विकसित किए हैं। ये 10 संकेतक हैं- पेसा प्रावधानों के साथ पंचायती राज अधिनियम का संरेखण, राज्य पेसा नियम अधिसूचित किए गए; पेसा अधिनियम के अनुसार राज्य पेसा नियम में प्रावधान; पेसा अधिनियम के साथ अनुपालन करने के लिए राज्य अधिनियमों/ नियमों/ विनियमन/ नीतियों/ अन्य संबद्ध विभागों के कार्यकारी निर्देशों में संशोधन; पेसा ग्राम सभाओं का जीपीडीपी प्लान अपलोड करना; एलजी डायरेक्ट्री में पेसा गांवों/पंचायतों की मैपिंग; राज्य स्तर पर पेसा कर्मचारियों की तैनाती; पेसा प्रशिक्षण; आरजीएसए के तहत पेसा ग्राम सभा का अभिविन्यास; और 'पंचायत NIRNAY' पोर्टल पर ग्राम सभा के फोटो/विडियो और कार्यावाही अपलोड करना।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के आकलन में, राजस्थान राज्य ने चौथा स्थान प्राप्त किया है और "परफॉर्मर" के तौर पर चिन्हित किया गया है। पेसा संकेतकों से पता चलता है कि राजस्थान राज्य कुछ क्षेत्रों में पीछे है, जैसे पेसा अधिनियम के अनुसार राज्य पेसा नियम में प्रावधान, पेसा अधिनियम के साथ अनुपालन करने के लिए राज्य अधिनियमों/ नियमों/ विनियमन/ नीतियों/ अन्य संबद्ध विभागों के कार्यकारी निर्देशों में संशोधन।

****